न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, सिकंदरा

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

Notice upload
21/02/2018

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

बिहार .... विभाग

SAR 03/2010-11 .... रजिस्टर सं०

गुलू लोहिया

देवनारायण सिंह

CHITAKE .... के अधीन

	1	2	3	4	5	6	7
						6.3.19	14.6.17
						12.8.19	15.7.17
						9.1.20	21.8.17
						18.9.20	20.9.17
						8.1.20	25.10.17
						12.2.20	06.12.17
						8.4.20	17.1.18
						17/02/2021	21.2.18
						28.4.21	28.3.18
						28/7/2021	9.5.18
							20.6.18
							01.8.18
							3.10.018
							19.12.18
							30.1.019

Scanned by CamScanner

D

आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0.................................से ....तक

जिला–सिमडेगा, संख्या SAR-03/2010

केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969

गुलु लोहरा
बनाम
दैपनारायण सिंह

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
05-2-2010	श्री गुलु लोहरा पिता स्व॰ फिरत लोहरा साकिन लचिरागढ़, चटकटोली थाना कोलेबिरा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी दैपनारायण सिंह पिता – स्व॰ फौदा सिंह साकिन– लचिरागढ़ चटकटोली थाना कोलेबिरा जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	28.3.14 22-5-12 14-6-17

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
लचिरागढ़	11	291	1.76 ए॰ में से 0.14 ए॰

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 22.02.10 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 5/2/10
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 03/2010–11
दिनांक.....

गुलू लोहरा
बनाम
देवनारायण सिंह

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक गुलू लोहरा, पिता–स्व0 फिरन लोहरा, ग्राम–लचड़ागढ़, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी देवनारायण सिंह, पिता–स्व0 कोका सिंह, ग्राम–लचड़ागढ़ चटकटोली, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–03/2010–11 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
लचड़ागढ़	11	291	1.67 एकड़ में से 0.14 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को न्यायालय के पत्रांक 46(ii)/विधि, दिनांक 09.02.2010 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। वाद की सुनवाई हेतु उभय पक्षों को दिनांक 05.02.2010, दिनांक 15.05.2012, दिनांक 19.04.2014 एवं 11.04.2017 द्वारा नोटिस निर्गत की गई। न्यायालय को नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, कोलेबिरा ने अपने पत्रांक 469(ii)/रा0, दिनांक 25.05.2011 द्वारा न्यायालय को प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी का प्रश्नगत् भूमि मौजा–लचड़ागढ़, थाना नं0–81, खाता सं0–11, प्लॉट सं0–291, रकबा–0.14 एकड़ में से लगभग 0.010 एकड़ भूमि पर पक्का मकान एक कमरा–16X17 तथा एक बरामदा 9X17 निर्मित हैं। विपक्षी 425 वर्गफुट (लगभग 1 डी0) पर भवन निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व किया हैं। निर्मित मकान का कीमत प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 200,000/–(दो लाख रूपये) मात्र हैं। खतियानी रैयत का नाम मोसोमात एतवारी जोजे गणपत अहीर हैं। आवेदक के पिता–भोगलो लोहार उक्त जमीन को रैयत से खरीदा था। रजिस्टर II में रैयत भोगलो लोहार, पिता–सोमा लोहार दर्ज हैं। दिनांक 09.01.2013 से 30.08.2013 तक उभय पक्ष की ओर से कोई पैरवी नहीं हैं। दिनांक 03.10.2018 से 28.04.2021 तक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–03/2010–11 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2021.07.08 15:20:36 +05:30
Location: 192.168.0.103

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Scanned by CamScanner